https://shikshabodh.in/

SHIKSHA BODH
(The Journal of Education and Humanities)
A quarterly, peer-reviewed/refereed journal
ISSN: 3139-5880 IMPACT FACTOR: 6.50
VOLUME-1|ISSUE-2|April-June, 2026

महिला सशक्तिकरण: अवसर एवं चुनौतियाँ

(21वीं सदी के भारतीय समाज के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

***साधना सिंह**

शोधार्थी, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

शोध सार (Abstract)

आज के समय में महिला सशक्तिकरण को सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा मानना शायद सही नहीं होगा। असल में यह राष्ट्र-निर्माण और सतत विकास के लिए एक जरूरी शर्त बन चुका है, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की का सही अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं को कितनी आज़ादी, बराबरी और मौके मिले हुए हैं। इस शोध आलेख में भारतीय संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के अलग-अलग पहलुओं—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और कानूनी—को समझने की कोशिश की गई है। साथ ही यह देखने की कोशिश की गई है कि वर्तमान में कौन-कौन से अवसर उपलब्ध हैं, जैसे शिक्षा का बढ़ता दायरा, डिजिटल क्रांति, महिला उद्यमिता और संवैधानिक संरक्षण। लेकिन इसके साथ-साथ पितृसत्तात्मक सोच, लिंग-आधारित हिंसा, आर्थिक असमानता और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जिन पर इस अध्ययन में विस्तार से बात की गई है। अंत में कुछ ऐसे सुझाव देने की कोशिश की गई है जिनसे नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता और व्यावहारिक कदमों के जरिए महिला सशक्तिकरण की दिशा तय की जा सके।

मुख्य शब्द (Keywords): महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समता, पितृसत्तात्मक ढाँचा, सतत विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता।

1. प्रस्तावना (Introduction)

"यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं; लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार और राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।"— **महात्मा गांधी**

महिला सशक्तिकरण का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो यही है कि महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने की ताकत, अधिकार और आज़ादी मिले। यह सिर्फ अधिकार दे देने भर की बात नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की बात है जहाँ महिलाएँ बिना किसी भेदभाव, डर या पूर्वाग्रह के अपनी पूरी क्षमता दिखा सकें।

अगर इतिहास में झांकें तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है, तो वहीं मध्यकाल आते-आते बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को काफी नीचे गिरा दिया। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के जरिए महिलाओं की स्थिति सुधारने के गंभीर प्रयास शुरू हुए।

आज के समय में महिला सशक्तिकरण सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं रह गया है—यह आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक

भागीदारी, तकनीकी दक्षता और सामाजिक स्वायत्तता तक फैल चुका है। फिर भी, भारत जैसे विविध और जटिल समाज में असल बराबरी और सच्चे सशक्तिकरण के बीच अभी भी एक बड़ा फासला बना हुआ है।

2. महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम (Dimensions of Women Empowerment)

सशक्तिकरण को समझने के लिए इसे कुछ आयामों में बांटा जा सकता है:

2.1 सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

इसका मतलब है समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा, सम्मान और भेदभाव-मुक्त माहौल मिलना—जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच, कुरीतियों का खात्मा और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी।

2.2 शैक्षणिक सशक्तिकरण (Educational Empowerment)

शिक्षा को सशक्तिकरण की सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है। इससे न सिर्फ सोचने-समझने और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के काबिल भी बनती हैं।

2.3 आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)

आर्थिक आज़ादी ही असली स्वायत्तता की नींव है। जब किसी महिला के पास संपत्ति पर अधिकार, रोज़गार के मौके और पैसों तक पहुँच होती है, तो परिवार और समाज में उसकी भूमिका अपने आप बढ़ जाती है।

2.4 राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)

नीति बनाने और फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को राजनीतिक सशक्तिकरण कहा जाता है। पंचायती राज से लेकर संसद तक महिलाओं की मौजूदगी लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाती है।

2.5 कानूनी एवं संवैधानिक सशक्तिकरण (Legal and Constitutional Empowerment)

संविधान और कानूनों ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, उनकी जानकारी और सही इस्तेमाल महिलाओं को शोषण से बचाने का एक मजबूत कवच है।

3. वर्तमान भारत में महिला सशक्तिकरण के अवसर (Opportunities)

21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी तरक्की और नीतिगत सुधारों ने भारतीय महिलाओं के लिए कई नए दरवाजे खोले हैं:

3.1 शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी

पिछले दो दशकों में लड़कियों के नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं ने बालिका शिक्षा को लेकर समाज की सोच बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) के क्षेत्रों में भी महिलाओं की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है।

3.2 डिजिटल क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी (Digital Inclusion)

इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को ज्ञान, कौशल विकास और रोज़गार के नए मौकों से जोड़ा है। 'वर्क फ्रॉम होम' और 'फ्रीलांसिंग' जैसे विकल्पों ने उन महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सक्रिय होने का मौका दिया है जो घरेलू जिम्मेदारियों के

चलते बाहर नहीं निकल पाती थीं।

3.3 महिला उद्यमिता एवं स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups)

भारत में 'स्वयं सहायता समूह' (SHG) आंदोलन, खासकर गांवों में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जरिया बनकर उभरा है। 'लखपति दीदी' पहल, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए लाखों महिलाएँ उद्यमी बन रही हैं। ये समूह सिर्फ बचत को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं।

3.4 राजनीतिक सहभागिता एवं आरक्षण

73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% (और कई राज्यों में 50%) सीटें आरक्षित होने से जमीनी स्तर पर लाखों महिला नेता सामने आई हैं। इसके अलावा, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का पास होना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा कदम माना जा सकता है।

3.5 कानूनी ढाँचा और संवैधानिक संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) महिलाओं को एक मजबूत आधार देते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित कानून भी महत्वपूर्ण हैं:

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

4. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में मुख्य चुनौतियाँ (Challenges)

इतने सारे अवसर और कानूनी संरक्षण होने के बावजूद, हकीकत में भारतीय महिलाओं को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- सामाजिक: पितृसत्तात्मक सोच एवं रूढ़ियाँ
- आर्थिक: वेतन विषमता एवं कम सहभागिता
- सुरक्षा: घरेलू व कार्यस्थल हिंसा
- स्वास्थ्य: कुपोषण एवं एनीमिया
- राजनीतिक: 'सरपंच पति' संस्कृति

4.1 गहरी जमी हुई पितृसत्तात्मक मानसिकता (Patriarchal Mindset)

भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। आज भी कई जगहों पर बेटे की चाहत के चलते लिंग-चयनित गर्भपात, बाल विवाह और लड़कियों के साथ भेदभाव जैसी कुरीतियां मौजूद हैं। समाज अभी भी महिला को एक स्वतंत्र फैसला लेने वाले इंसान के तौर पर पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है।

4.2 लैंगिक हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (Gender-based Violence)

घर के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा से लेकर कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न तक, सुरक्षा की कमी महिलाओं की आज़ादी को सीमित करती है। सुरक्षा को लेकर डर के कारण कई परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा या बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं देते, जिससे उनके मौके सीमित हो जाते हैं।

4.3 आर्थिक विषमता एवं श्रम बल में कम भागीदारी (Low FLFP Rate)

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 'महिला श्रम बल भागीदारी दर' उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं:

- वैतनिक विषमता (Gender Pay Gap): समान काम के बदले पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन मिलना।
- अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work): बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल और घर के कामों का पूरा बोझ महिलाओं पर होना, जिसे आर्थिक हिसाब में गिना ही नहीं जाता।
- असंगठित क्षेत्र में शोषण: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को न तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही सही वेतन।

4.4 स्वास्थ्य और पोषण की दयनीय स्थिति

भारत में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण और एनीमिया से जूझ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के मुताबिक, देश में 15 से 49 साल की आधी से ज्यादा महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं। मातृ मृत्यु दर (MMR) में सुधार तो हुआ है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

4.5 डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

तकनीकी क्रांति के इस दौर में भी गांवों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की महिलाओं के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की पहुँच पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। यह 'डिजिटल जेंडर गैप' महिलाओं को नए ज़माने के मौकों से दूर रखता है।

4.6 'सरपंच पति' संस्कृति एवं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व

राजनीति में आरक्षण मिलने के बावजूद कई जगहों पर असली सत्ता महिला प्रतिनिधि की बजाय उसके पति या किसी पुरुष रिश्तेदार (जिसे 'सरपंच पति' कहा जाता है) के हाथ में रहती है। इससे राजनीतिक सशक्तिकरण का असली मकसद ही पूरा नहीं हो पाता।

5. प्रमुख सरकारी योजनाएँ: एक अवलोकन (Key Government Initiatives)

क्र.सं.	योजना का नाम	मुख्य उद्देश्य
1	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	लिंग अनुपात में सुधार और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
2	सुकन्या समृद्धि योजना	बालिकाओं के भविष्य और विवाह हेतु वित्तीय सुरक्षा देना।
3	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

4	लखपति दीदी योजना	स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोज़गार हेतु सक्षम बनाना।
5	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देना।
6	स्टैंड अप इंडिया एवं मुद्रा योजना	महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना।

6. सुझाव एवं भावी दिशा (Recommendations & Future Scope)

अगर महिला सशक्तिकरण में असली बदलाव लाना है, तो सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होगा—इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना जरूरी है:

6.1 सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन (Behavioral Change)

- लैंगिक संवेदीकरण (Gender Sensitization): लड़कों और पुरुषों को बचपन से ही लैंगिक समानता के बारे में सिखाया जाना चाहिए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में 'जेंडर स्टडीज' को जरूरी विषय बनाया जाए।
- मीडिया की सकारात्मक भूमिका: फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी सीरियलों में महिलाओं को पारंपरिक और रूढ़िवादी छवि की बजाय एक सशक्त और आत्मनिर्भर नागरिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

6.2 आर्थिक नीतियाँ एवं कार्यस्थल में सुधार

- समान वेतन का सख्त कार्यान्वयन: समान काम के लिए समान वेतन के नियम को सख्ती से लागू किया जाए।
- शिशु गृह (Crèche) सुविधा अनिवार्य करना: कार्यस्थलों पर क्रेच की सुविधा अनिवार्य होने से माताएँ आसानी से अपना करियर जारी रख पाएंगी।
- असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का पंजीकरण: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के दायरे में लाया जाए।

6.3 डिजिटल एवं तकनीकी साक्षरता

गांवों की महिलाओं के लिए खास 'डिजिटल साक्षरता अभियान' चलाए जाने चाहिए ताकि वे ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और ई-कॉमर्स का फायदा उठा सकें।

6.4 कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और त्वरित न्याय

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए 'फास्ट-ट्रैक अदालतों' की संख्या बढ़ाई जाए और पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाए।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

आखिर में यही कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं की भलाई या तरक्की का मामला नहीं है, बल्कि यह एक

न्यायपूर्ण, बराबरी वाले और समृद्ध समाज की नींव है।

> *"नारी केवल अबला नहीं, वह समाज का आधा हिस्सा है; और जब तक आधा हिस्सा कमजोर रहेगा, तब तक पूरा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।"*

पिछले कुछ दशकों में भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। संवैधानिक संरक्षण, बढ़ती साक्षरता, उद्यमिता और राजनीतिक आरक्षण ने महिलाओं को एक नई पहचान दी है। लेकिन जब तक पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक हिंसा और आर्थिक असमानता जैसी जड़ें खत्म नहीं होतीं, तब तक असली सशक्तिकरण का सपना अधूरा ही रहेगा।

सच्चा सशक्तिकरण तभी माना जाएगा जब एक महिला को अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी होगी—चाहे वो उसके शरीर से जुड़ा मामला हो, उसकी शिक्षा का, उसकी शादी का, या उसके करियर का। इसके लिए सरकार, समाज, परिवार और खुद महिलाओं को मिलकर एक सहयोगात्मक और सुरक्षित माहौल बनाना होगा।

8. संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. अग्रवाल, बी. (2010). अ फील्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

2. शर्मा, के. (2018). भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण: स्थिति और चुनौतियाँ. रावत पब्लिकेशंस, जयपुर,

3. भारत सरकार (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) रिपोर्ट (2019-21). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.

4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2023). ग्लोबल वेज रिपोर्ट: जेंडर पे गैप इन डेवलपिंग नेशंस.

5. सिंह, साधना (2024). राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और महिला स्वावलंबन. शोध आलेख, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, पृष्ठ 1-6.

6. विश्व बैंक (2022). महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी.

7. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) (2023). ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट: जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स (GII).